

300


296 5000Rs.



4642 Pro. C. Ex

23 I.A with the permissions  
by L.R.D.C. Simdega  
vide case no. 431/2016-17

order dated  
22.4.17



Ajay Kerketta  
17.06.17

क्रिय पत्र  
=====

लेखकारकेणः- श्री अजय केरकेटा वो विनीत  
केरकेटा वल्दान स्व० जोन केरकेटा जाति- जड़िया, पेशा-  
कौषारी सह मजदूरी निवात ग्राम- तुन्दरपुर, थाना-  
सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

..... विक्रेतगण ।

आधार कार्ड संख्या- 2295 8378 6282

किडी  
पि भुय किडी  
पारडाड  
रिमडेगा  
06-2017





—2—

समय-पत्र संख्या:-

फॉर्म- 60

फॉर्म- 60

॥2॥ लेख्यधारिणी:- गुलाब केरकेटा पिता स्व० रफारल केरकेटा  
जाति- खड़िया, पेशा- तैवानिकृत शिक्षिका, निवात ग्राम-  
सुन्दरपुर, थाना- तिमडेगा, जिला- तिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

आधार कार्ड संख्या- 3155 5803 5134


पैन नम्बर ए.बो. वयु.पी.के. 5218बी.

समय-पत्र संख्या:- 1957/2017

॥3॥ लेख्यकार:- किय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिकः  
स्वा दिन के वास्ते बिक्री होता है ।

॥4॥ मूल्य:- मौबलि उः लाख रुपये ओ 6,00,000/- रुपये  
होता है ।

॥5॥ तम्पति:- एराजियात अन्दर मौजा- गौतरा, टीला-  
सुन्दरपुर, वार्ड नं० 01, थाना- तिमडेगा, थाना नं० 80, तदर  
राजिस्ट्री ऑफिस वी जिला- तिमडेगा के जाता नं० 268 इदो ती  
अरकठ प्लॉट नं० 2859 अठाईस ती उनकठ रकबा 0.16 एकड़



विनीत केरकेटा

दि कि  
समय पुष्प  
र  
T- सिगिडा  
6.017





—3—

उत्तर :- प्लॉट नं० 2857 एवं 2858 टांडा,

दक्षिण :- पीटर पॉल कुल्लू एवं गुलाब केरके टटा का घेरा,

पूरव :- इसी प्लॉट में छोड़ा गया 10' का ऊँचा रास्ता,

पश्चिम :- अलौडित टोप्यो का घेरा ।

माल्मुजरियो 10 पैसा इदत पैसा अलावे सेत तालाना ।

वर्षित धिक्रीत जमीन आवासीय है-जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है तथा शूकी क्षेत्र के चार भागों में से किये वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है ।

॥1॥ चुँकि हम लेखकारिणी को मकान निर्माण करने के लिये की आवश्यकता पड़ी और इतत समय बिना जमीन बेचे लिये मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं पाकर हमने लेखकारिणी से हमारी जमीन खरीदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

॥2॥ इतलिए हमने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की त्वस्थता में रहकर उपर जाना संख्या पाँच में वर्षित जमीन को उपर्युक्त लेखधारिणी के हाथ नाद कोमत कुता पाकर बेचा वी बेची गई जमीन का कुल एक दकत वी अधिकार उक्त लेखधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ तदा दिन के लिए हतान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न हमारा कोई एक तरीकार रहा और न हमारे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई एक तरीकार रहा और न

Ajay Kerketa  
17-06-17  
बिनीत केरकेटा  
17-06-17





—4—

के दादा अंजलुत केरकेट्टा को जमीन जौन हे जिते हलोगों के दादा अंजलुत केरकेट्टा ने करिये रजिस्ट्री पददा क्रम संख्या 450 एवं रजिस्ट्री पददा संख्या 459 दिनांक 11. 12. 1946 के द्वारा लाल बुन्हार बनाम अंजलुत केरकेट्टा के द्वारा हाकिम का दफ्तार ये जित रजिस्ट्री का बुक नं० 1, ओल्ड संख्या 4, पृष्ठ संख्या 119 से 121 की 1946 ई० हे । हलोगों के दादा अंजलुत केरकेट्टा के स्वमात्र पुत्र हलोगों के पिता जौन केरकेट्टा थे । हलोगों के दादा अंजलुत केरकेट्टा के निधन के बाद उक्त जमीन हलोगों के पिता जौन केरकेट्टा को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुआ एवं हलोगों के पिता के निधन के बाद उक्त जमीन हलोगों को उत्तराधिकारी के रूप में हासिल हुआ जिसमे हलोगों का दफ्तार कब्रहा निर्विवाद हे । उक्त जमीन का लान रसीद हलोगों के दादा अंजलुत केरकेट्टा के नाम से कटा हे जो राजस्व पंजी III के ओल्ड संख्या 1, पृष्ठ संख्या 216 में दर्ज हे । जति यान में उक्त जमीन कायसी र्ज हे एवं लान पाने वाले का नाम मनेजर इन्कम्बर्ड स्टेट मीन जानीष टोकैत श्री निवात लुम तिह देव दर्ज हे । जति यान में हब बुन्हार वीरह का नाम दर्ज हे ।

Ajay Kantar  
17.06.17  
बिनी केरकेट्टा  
17.06.17

१५४      मुँके हम उभय पक्ष आदिवासी सुदाय के सुरक्षित सदस्य हे  
अतः जमीन खरीद बिग्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रोमान





-5-

उप साहत्या भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर  
कार्यकारी अधिकारियों की धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका  
वाद संख्या 431/2016-17 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 22.4.17  
को प्राप्त हुई एवं जिसका मैमो नं० 354/11 दिनांक 22.4.2017  
है।

§ 5§ उप बाहिर कि लेखधारिणी अम्मी जमीन पर काचिज वो  
दख्खार होकर मकान, शहन, कुआ, बागो इत्यादि बनाकर अपने  
उपयोग में लाते वो झारखंड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा  
के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल करारिज कराकर तारीख लेख से वो  
अदाय माल्जुजारी के रसीद जात नाम से हासिल किया करें।

§ 6§ इसलिये वह विक्रय पत्र केवाला पैसा कलामने तदा दिन के  
लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वका जरूरत पर काम आवे।

ह, यह घोषणा करते हैं कि विक्रय वाली जमीन भू-हस्तान्दो,  
कैतरे हिन्द, जात मकान, भू-दान, तैरात, लीज, आम गैर मजल्ला  
से तस्मान्दो नहीं है।

Ajay Kerketta  
17.06.17  
बिना करकेहा  
17.06.17





झारखण्ड JHARKHAND



-6-

B 339066

हम लेखकारों ने यह घोषणा करते हैं कि विक्रीत जमीन  
 को बचत जमीन तालिका के अन्तर्गत नहीं आता है।

Ajay Kerketta  
 17.06.17

बिनीत केरकेटा  
 17.06.17



प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारों,  
 के बीच दायरे में पांच अंगुलियों का  
 दायरी लगाना किया गया है।

Jugal Kerketta  
 Advocate  
 17.06.17

Ajay Kerketta  
 17.06.17  
 बिनीत केरकेटा  
 17.06.17






---7---

मैं लेखधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन को  
प्राप्ति के बाद कुल धारित जमीन तिर्गल के अन्तर्गत नहीं आता है।

गुलाब करकड़ा  
17.06.17



प्रमाणित किया जाता है कि लेखधारिणी  
के कंधे एवं दो पाँचों अंगुलियों का  
दाएँ मूँट समझ किया गया है।

Jugal Kishore Ram  
Advocate  
17.06.17

उभय पक्षों के कहे अनुसार इत. क्रिय पत्र दस्तावेज का  
प्राप्त्य तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना  
वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

सही/- Jugal Kishore Ram  
Advocate  
17.06.2017

Ajay Kerketta  
17.06.17  
बिनीत करकड़ा  
17.06.17

प्रामाणिकता  
तारोङ -



प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के  
कुल आठ पृष्ठों में मेरे द्वारा टंकित हैं जो अडन रहित है।

तंक

मो. अर. कु. व.

17.06.2017

मो. अर. कु. व.  
कव. हरी परिसर,  
तिरुडिगा।

अनुलग्नक :-

1. बिक्रय पत्र, क्रेतिका एवं पत्नी गवाह का आधार कार्ड  
का छायाप्रति,
2. परमिशन रेग्युल का मूल प्रति,
3. परमिशन रिपोर्ट एवं आदेश का सच्ची प्रतिलिपि,
4. केवाला पददा का छायाप्रति,
5. माल्जुजारी रसीद का छायाप्रति,
6. खतियान का स्त्यामित प्रति,
7. श्रौच मैप का छायाप्रति,
8. ट्रेड मैप का मूल प्रति,
9. फॉर्म नं. 1 का मूल प्रति,

Ajay Kerketta

17.06.17

विनीत केरकेटा

17.06.17